A6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री घनश्याम शर्मा
आर.ए.एस

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला
23/प्रा.पत्र/2021	12.04.2021	16.08.2024

1. श्रीमती गोप्या पत्नि श्री सून्दरा जाति बावरिया निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।

–प्रार्थीया

बनाम

1. आवंटन परामर्शदात्री समिति नैनवा द्वारा तहसीलदार नैनवा, जिला बून्दी।
2. श्रीमती जरीना पत्नि रियाजुद्विन जाति मुसलमान निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से– श्री कैलाश गुप्ता एड0
अप्रार्थीगण की ओर से– श्री लिलाधर सिंह एड0

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर भूमि खसरा संख्या 94/1 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी अप्रार्थी संख्या 2 को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 03.07.1999 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

बहस समाअत की गई।

वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटी को विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 94/1 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी का आवंटन अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमति जरीना के नाम दिनांक 03.07.1999 को परामर्श दात्री समिति द्वारा किया गया था ,जो कि वस्तु स्थिति विधान एवं प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्त होने योग्य हैं। प्रार्थीया उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार थी तथा इसी भूमि पर प्रार्थीया के परिवार की आजिविका निर्भर थी, प्रार्थीया ने अपने परिवार के रहने के लिए इसी जमीन पर घर बना रखा हैं। इस भूमि के अतिरिक्त प्रार्थीया के परिवार के पालन पोषण का अन्य कोई साधन नही हैं। अप्रार्थी संख्या–2 ने अप्रार्थी संख्या–1 के कर्मचारियों से कपट पूर्ण साठ–गाठ करके दिनांक 14.05.1998 को समर्पण पत्र प्रस्तुत करवा कर तहसीलदार नैनवां के आदेश दिनांक 15.05.1998 से भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करवा लिया, जबकि प्रार्थीया ने भूमि का समर्पण नहीं किया है। समर्पण आदेश की विरूद्व प्रार्थीया द्वारा पृथक से अपील प्रस्तुत कर दी हैं। प्रार्थीया अनुसुचित जाति की कृषक

G7

A6/12

है, जिसके खाते की भूमि का समर्पण अनुसुचित जाति के व्यक्ति को ही कीया जा सकता हैं। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 अनुसुचित जाति की नहीं है। प्रार्थीया आवंटन से पूर्व से ही उक्त भूमि पर घर बनाकर परिवार सहित काबिज काश्त चली आ रही हैं। प्रार्थीया को अपीलाधीन आदेश का पुर्व में कभी भी ज्ञान नहीं हुआ था, दिनांक 02.03.2021 को अप्रार्थी संख्या–2 के साथ कुछ लोगो ने आकर प्रार्थीया का घर गिरा दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। दिनांक 02.03.2021 को ही प्रथम बार अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ तथा नकल आदेश हेतु आवेदन करने पर दिंनाक 10.03.2021 को आदेश की नकल प्राप्त हुई। इस प्रकार ज्ञान की तिथि से नकल प्राप्त होने का समय मुजरा किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। स्वंय प्रार्थीया ने दिनांक 14.05.1998 को तहसीलदार नैनवां के समक्ष प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 94/1 रकबा 15 बीघा का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में करने हेतु प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर तहसीलदार नैनवां द्वारा आदेश दिनांक 15.05.1998 से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गयी थी, जिसका अप्रार्थी संख्या 2 को नियमानुसार आवंटन किया गया एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम खातेदारी दर्ज है। तहसीलदार नैनवां द्वारा पूर्व में भी उक्त आवंटन खारिज हेतु प्रार्थना पत्र सरकार बनाम जरीना मुकदमा संख्या 149/प्रा0पत्र/1999 प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी द्वारा निर्णय दिनांक 04.07.2002 से आवंटन को विधि सम्मत मानते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था। वकील प्रार्थी ने अवगत करवाया है कि समर्पण के सम्बंध में अपील पृथक से न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, उक्त अपील मुकदमा संख्या 06/अपील/2021 गोप्या बनाम सरकार इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2021 को खारिज की जा चुकी है, जिसकी निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 05.05.2022 से माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज की जाकर न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2021 एवं तहसीलदार, नैनवां द्वारा पारित आदेश 15.05.1998 यथावत् रखे गये। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पुनः न्याय करने का अधिकार क्षैत्र न्यायालय को नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अवगत कराया कि उक्त आवंटित भूमि के आवंटन निरस्त का प्रार्थना पत्र पूर्व में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। उक्त प्रार्थना पत्र पूर्वनिर्णीत होने से पुनः सुनवाई का अधिकार न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कर बहस अभिभाषक प्रार्थी ,अप्रार्थी एवं पैरोकार सरकार पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के सलंग्न दस्तावेज से यह तथ्य प्रकट हैं कि पूर्व में तहसीलदार नैनवां द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 में उक्त आवंटन खारिज हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो मुकदमा संख्या

अति० जिला कलक्टर

A 6/3

149 / प्रा0पत्र / 1999 सरकार बनाम जरीना दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2002 को निर्णय पारित कर आवंटन को विधि सम्मत मानते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था। समर्पण के सम्बंध में प्रस्तुत अपील मुकदमा संख्या 06 / अपील / 2021 गोप्या बनाम सरकार इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2021 को खारिज की जा चुकी है, जिसकी निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 05.05.2022 से माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज की जाकर न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2021 एवं तहसीलदार, नैनवां द्वारा पारित आदेश 15.05.1998 यथावत् रखे गय। उक्त प्रार्थना पत्र की पुनः सुनवाई का अधिकार न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं तथा आवंटी को किया गया आवंटन आराजी खसरा संख्या 94 / 1 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी आवंटन आदेश दिनांक 03.07.1999 को यथावत रखा जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय के भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर,
बून्दी

अति. जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)